

Think
IAS...




 Think
Drishti

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)

लोक प्रशासन एवं प्रबंधन



दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (*Distance Learning Programme*)

Code: MPM02



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)

लोक प्रशासन एवं प्रबंधन



641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

दूरभाष : 8750187501, 011-47532596

टोल फ्री : 1800-121-6260

Web : www.drishtiIAS.com

E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को “like” करें

www.facebook.com/drishtithevisionfoundation

www.twitter.com/drishtiias

1. लोक प्रशासन	5–22
1.1 प्रशासन: अर्थ, विशेषताएँ एवं महत्त्व	5
1.2 लोक प्रशासन: अर्थ, विशेषताएँ, प्रकृति, क्षेत्र, महत्त्व एवं सीमाएँ	6
1.3 लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धति	12
1.4 एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास	14
1.5 विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका	16
1.6 लोक प्रशासन के नवीन आयाम	18
1.7 राज्य बनाम बाज़ार	19
2. निजी प्रशासन	23–27
2.1 लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में समानताएँ	23
2.2 लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में असमानताएँ	23
2.3 उदारीकरण के अधीन लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन	24
3. नवीन लोक प्रशासन	28–33
4. लोक प्रशासन के सिद्धांत	34–54
4.1 शास्त्रीय सिद्धांत (फियोल, गूलिक, उर्विक)	34
4.2 वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत (टेलर)	37
4.3 नौकरशाही (वेबर)	44
4.4 मानव संबंध सिद्धांत (ऐल्टन मेयो)	149
4.5 व्यवस्था दृष्टिकोण (बर्नार्ड)	52
5. प्रशासनिक अवधारणाएँ	55–64
5.1 शक्ति की अवधारणा	55
5.2 वैधता की अवधारणा	57
5.3 सत्ता या प्राधिकार की अवधारणा	58
5.4 उत्तरदायित्व की अवधारणा	61
6. संगठन एवं उनके सिद्धांत	65–92
6.1 संगठन : अर्थ एवं विशेषताएँ	65
6.2 संगठन के प्रकार	66
6.3 संगठन के आधार	68
6.4 संगठन की संरचना	69
6.5 संगठन के उपागम	71
6.6 पदसोपान	74
6.7 प्रत्यायोजन	77
6.8 नियंत्रण का क्षेत्र	81
6.9 आदेश की एकता	83

6.10	केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण	85
6.11	समन्वय	87
6.12	पर्यवेक्षण	89
7.	लोक प्रबंधन	93–103
7.1	प्रबंधन: अर्थ, विशेषताएँ, प्रकृति एवं महत्व	93
7.2	लोक प्रबंधन: अर्थ एवं विशेषताएँ	96
7.3	लोक प्रबंधन के नवीन आयाम	99
7.4	लोक प्रबंधन के परिवर्तन का प्रबंधन	101
8.	विकास प्रशासन एवं तुलनात्मक लोक प्रशासन	104–114
8.1	विकास प्रशासन	104
8.2	तुलनात्मक लोक प्रशासन	109
9.	भारत में प्रशासन पर नियंत्रण	115–127
9.1	विधायी/संसदीय नियंत्रण	115
9.2	वित्तीय नियंत्रण	117
9.3	कार्यपालिका का नियंत्रण	119
9.4	न्यायिक नियंत्रण	120
9.5	जन नियंत्रण	125
9.6	आंतरिक नियंत्रण	126
10.	लोक प्रशासन के अन्य आयाम	128–158
10.1	अभिप्रेरणा	128
10.2	निर्णय निर्माण	138
10.3	सूच एवं स्टाप अभिकरण	140
10.4	संचार/संप्रेषण	142
10.5	नेतृत्व	153
10.6	सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ	155

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह सदैव समाज में रहता है और प्रत्येक समाज को बनाए रखने के लिये कोई न कोई राजनीतिक प्रणाली अवश्य होती है जिसे नगर-राज्य या राष्ट्र-राज्य कहा जाता है। इसलिये यह कहा जा सकता है कि उसके लिये समाज एवं राजनीतिक प्रणाली अनादि काल से अनिवार्य रही है। राज्य, सरकार एवं प्रशासन के माध्यम से कार्य करता है। राज्य के उद्देश्य, नीतियाँ, कार्यक्रम, परियोजनाएँ आदि कितनी भी प्रभावशाली, उपयोगी और आकर्षण क्यों न हो, उससे तब तक कोई लाभ या सकारात्मक बदलाव नहीं आ सकता जब तक उसको प्रशासन द्वारा कार्य के रूप में परिणित नहीं किया जाए। सामान्यतः प्रशासन किसी क्षेत्र में विशिष्ट शासन या विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियों का प्रबंध करने हेतु महत्वपूर्ण होता है। यह विशेष रूप से सरकारी क्रियाकलापों में उपयोगी तंत्र एवं प्रक्रियाओं से सह-संबंध रखता है। प्रशासन के तहत कार्य पूरा करने के लिये योजना बनाना, निर्णय लेना, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्माण करना, संगठनों का निर्माण एवं पुनर्निर्माण करना, कर्मचारियों को निर्देश देना, जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिये विधायिका तथा निजी एवं सार्वजनिक संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करना इत्यादि शामिल हैं।

1.1 प्रशासन: अर्थ, विशेषताएँ एवं महत्व (Administration: Meaning, Features and Importance)

उदारीकरण तथा भूमंडलीकरण ने प्रशासन की संरचना एवं महत्व को विशेष रूप से प्रभावित किया है। उत्तम अभिशासन जैसी मान्यताओं ने प्रशासन की परंपरागत अवधारणाओं को चुनौती देते हुए सामाजिक न्याय पर आधारित इसके अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिये प्रेरित किया है।

अर्थ (Meaning)

किसी संगठन या सरकार में उचित ढंग से या उत्कृष्ट रीति से कार्य करने की प्रक्रिया प्रशासन कहलाती है। प्रशासन में निर्देश देना, मार्ग-प्रशस्त करना, आदेश देना इत्यादि क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं। प्रशासन का अर्थ अधिक व्यापक है, जैसे- वित्त प्रशासन, रेल प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन इत्यादि। “चूँकि प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिये सहयोग एवं सकारात्मक उद्देश्य से किया जाने वाला कार्य है; अतः इसके लिये विभिन्न संगठन, अनेक व्यक्तियों का सहयोग तथा सामाजिक हित का उद्देश्य आवश्यक होना चाहिये।” इसके अलावा विभिन्न विद्वानों के अनुसार प्रशासन के अर्थ निम्नलिखित हैं-

- **मार्क्स के मतानुसार,** “प्रशासन चैतन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिये निश्चयात्मक क्रिया है। यह उन वस्तुओं के एक संगठित प्रयत्न तथा साधनों का निश्चित प्रयोग है, जिसको हम कार्यान्वित करवाना चाहते हैं।”
- **साइमन के अनुसार,** “अपने व्यापक रूप में प्रशासन की व्याख्या उन समस्त सामूहिक क्रियाओं से की जा सकती है, जो सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सहयोगात्मक रूप में प्रस्तुत की जाती हैं।”
- **फिफनर के अनुसार,** “मनुष्य तथा भौतिक संसाधनों का संगठन एवं नियंत्रण ही प्रशासन है।”
- **लूथर गुलिक के मतानुसार,** “प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है जिससे कि निर्धारित लक्ष्य पूरा हो सके।”
- **निग्रो के अनुसार,** “प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिये मनुष्य तथा सामग्री, दोनों का संगठन है।”
- **व्हाइट के शब्दों में,** “प्रशासन किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के लिये बहुत से व्यक्तियों के संबंध में निर्देश, नियंत्रण तथा समन्वयीकरण की कला है।”

- बाजार से यह अपेक्षा नहीं होती है कि वह कुल मांग और कुल आपूर्ति के मध्य संतुलन स्थापित कर सके।
 - बाजार प्रतिस्पर्द्धी स्वरूप का होता है, जिसमें समानता का अभाव होता है।
- उपर्युक्त समस्याओं से यह स्पष्ट होता है कि राज्य एवं बाजार में एक बेहतर संतुलन की आवश्यकता है, क्योंकि राज्य के अत्यधिक हस्तक्षेप से बाजार का क्षेत्र सीमित हो जाता है और नौकरशाही बाजार पर हावी हो जाती है, परंतु उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के क्षेत्र में हस्तक्षेप को एक सीमा तक रखना होगा। विश्व बैंक की 1991 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के पाँच कार्य बताए गए हैं-
- कानून की बुनियाद को बनाए रखना।
 - दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना।
 - सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं में निवेश करना।
 - कमज़ोर व पिछड़े वर्गों का संरक्षण करना।
 - पर्यावरण का संरक्षण करना।

परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

- लोक प्रशासन सार्वजनिक नीतियों से संबंधित होता है।
- लोक प्रशासन सरकार के कार्य का वह भाग है, जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति होती है।
- प्रशासन एक क्रिया भी है और प्रक्रिया भी।
- नियंत्रण का कथन है- प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिये मनुष्य तथा सामग्री, दोनों का संगठन है।
- “लोक प्रशासन सामाजिक न्याय एवं सामाजिक परिवर्तन का महान साधन है।” – पं. जवाहरलाल नेहरू
- लोक प्रशासन की प्रकृति कला या विज्ञान अथवा दोनों हो सकती है।
- प्रशासन का अंग प्रबंध एवं संगठन होता है।
- लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धतियाँ हैं- संगठनात्मक, व्यवहारवादी एवं व्यवस्थात्मक पद्धति।
- इरविंग होरोविज की कृति ‘विकास की तीन दुनिया’ है।
- लोक प्रशासन निजी उद्यमों हेतु सहायता एवं प्रोत्साहन, सेवा कार्य तथा नियामक एवं नियोधक का कार्य करता है।
- लोक प्रशासन के विकास क्रम में 1927-37 के मध्य प्रशासन के सिद्धांतों पर बल दिया गया है।
- विकासशील समाजों में कार्यरत नौकरशाही व्यवहार में स्वायत्त होती है।
- प्राचीन काल में मिस्र की नील नदी के रख-रखाव हेतु कर्मचारी तंत्र के रूप में प्रशासन का विकास हुआ।
- 1927 में प्रकाशित डब्ल्यू.एफ. विलोबी की पुस्तक ‘प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन’ है।
- ‘दि फंक्शंस ऑफ दि एकजीक्यूटिव’ पुस्तक के लेखक चेस्टर बर्नार्ड हैं।
- हर्बर्ट साइमन की पुस्तक ‘एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर’ का प्रकाशन 1947 ई. में हुआ।
- राज्य का बाजार-अनुकूल हस्तक्षेप है- अनिच्छा से हस्तक्षेप करों, नियंत्रण और संतुलन को लागू करो और पारदर्शी एवं खुला हस्तक्षेप हो।
- बुडोरो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन एक व्यावहारिक शास्त्र है।

अति लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर 10 शब्दों/एक पंक्ति में दीजिये)

1. लोक प्रशासन को समझाइये।
2. लोक प्रशासन के प्रबंधात्मक दृष्टिकोण को समझाइये।
3. लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धतियाँ कौन-कौन सी हैं?
4. प्रशासन से आप क्या समझते हैं?
5. लोक प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिये।

लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर 50 शब्दों या 5 से 6 पंक्तियों में दीजिये)

1. विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका की विवेचना कीजिये।
2. विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की दृष्टि से प्रमुख चुनौतियाँ क्या-क्या होती हैं?
3. आधुनिक काल में लोक प्रशासन की विभिन्न अध्ययन पद्धतियों की चर्चा कीजिये।
4. लोक प्रशासन कला है अथवा विज्ञान। टिप्पणी कीजिये।
5. लोक प्रशासन के क्षेत्र को स्पष्ट कीजिये।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिये)

1. लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? इसकी महत्व बताते हुए लोक प्रशासन की सीमाओं को स्पष्ट कीजिये।
2. राज्य बनाम बाज़ार को समझाइये।
3. एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास की विवेचना कीजिये।
4. लोक प्रशासन के प्रकृति को स्पष्ट कीजिये।
5. विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।

किसी व्यक्ति या गैर-सरकारी संस्थान द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाने वाला प्रशासन निजी प्रशासन कहलाता है। इसमें उत्पादन, विनियोग, नियंत्रण एवं प्रबंधन पर निजी नियंत्रण होता है। निजी प्रशासन पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। निजी प्रशासन में लोकहित की भावना निहित नहीं होती है। इनमें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कॉचिंग सेंटर, राजनीतिक दल, क्लब इत्यादि आते हैं।

2.1 लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में समानताएँ

(Similarities in Public Administration and Private Administration)

लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच काफी समानताएँ हैं। अनेक ऐसे विचारक हैं जो लोक प्रशासन में निजी प्रशासन की तकनीक व इसके तौर-तरीकों के अधिकाधिक इस्तेमाल करने के हिमायती हैं। हेनरी फेयोल, मेरी पार्कर फॉलेट और उर्विक के अनुसार प्रशासन के मूल तत्त्व प्रायः एक से ही रहते हैं चाहे वे निजी क्षेत्र में हों या सार्वजनिक क्षेत्र में।

लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन की समानताओं के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं-

- लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन, दोनों के लिये संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन लोक एवं निजी प्रशासन का शरीर होता है, जिसमें समान प्रशासनिक क्रियाएँ की जाती हैं।
- इन दोनों प्रशासनों की कार्य-प्रणालियों में समानताएँ पाई जाती हैं। इनका मुख्य कार्य ‘पोस्डकोर्ब’ (POSDCoRB) है। इसके साथ ही आँकड़े उपलब्ध कराना, हिसाब-किताब रखना, फाइलें बनाना इत्यादि अन्य कार्य भी शामिल हैं।
- लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन, दोनों में अधिकारियों के उत्तरदायित्व समान होते हैं।
- लोक एवं निजी प्रशासन की सफलता के लिये अधिकारियों एवं कर्मचारियों की योग्यता एवं दक्षता आवश्यक होता है। अर्थात् कुशलता, परिश्रम, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठ, नेतृत्व, बौद्धिक स्तर आदि गुण दोनों की प्रशासनों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए समान रूप से आवश्यक होते हैं।
- चाहे प्रशासन लोक हो या निजी दोनों समान रूप से विकास की ओर अग्रसर होते हैं।
- 21वीं सदी में लोक प्रशासन के क्षेत्र में कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, वेतनक्रम, सेवानिवृत्ति, पदच्युत करने के नियम तथा पेंशन आदि की वही व्यवस्था अपनायी जाती है जो निजी क्षेत्रों में भी अपनायी जाती है।
- इन दोनों प्रशासनों में जनता से संपर्क आवश्यक होता है। यदि जन-संपर्क नहीं होगा तो कोई भी प्रशासन असफल हो जाएगा। लोक प्रशासन के लिये तो यह अति आवश्यक है, क्योंकि लोक प्रशासन का उद्देश्य जन कल्याण करना होता है।
- दोनों प्रशासनों में अनुसंधान के कार्य भी होते हैं, जिनके द्वारा नए उपकरणों, सिद्धांतों, प्रक्रियाओं का प्रतिपादन किया जाता है।

2.2 लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य असमानताएँ

(Differences Between Public Administration and Private Administration)

लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच अनेक समानताएँ होते हुए भी कई बातों में भिन्नताएँ पाई जाती हैं। इनके मध्य असमानता के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं-

नवीन लोक प्रशासन का अर्थ (*Meaning of New Public Administration*)

सामान्यतः यह माना जाता है कि नवीन लोक प्रशासन का शुभारंभ लोक प्रशासन के नवयुक्त विद्वानों द्वारा किया गया, जिसमें 1980 में प्रकाशिता एच. जार्ज फ्रेडरिक्सन की पुस्तक 'न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन' प्रमुख रही। जहाँ एक ओर दक्षता, मूल्यशून्यता, तटस्थता एवं कार्यकुशलता प्राचीन लोक प्रशासन के सिद्धांत थे, वहीं नैतिकता, जवाबदेहिता, नमनीय तटस्थता, सामाजिक प्रतिबद्धता तथा प्रतिबद्ध शासन प्रणाली पर नवीन लोक प्रशासन जोर देता है। इसके अंतर्गत विद्वानों द्वारा मूल्यों की आधारशिला पर विशेष बल दिया गया। इस प्रकार नवीन लोक प्रशासन जातिगत की अपेक्षा जनोन्मुखी अधिक, विवरणात्मक कम और निर्देशात्मक अधिक, संस्था उन्मुखी कम और ग्राहकोन्मुखी अधिक तथा तटस्थ कम और मूल्यपरक अधिक है।

वाल्डों के अनुसार, "नवीन लोक प्रशासन मानकात्मक सिद्धांत, दर्शन, सामाजिक प्रतिबद्धता और सक्रियतावाद की दिशा में एक प्रकार का क्रांति घोष है।"

नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएँ (*Features of new public administration*)

नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएँ इस प्रकार हैं-

- नवीन लोक प्रशासन द्वारा राजनीति-प्रशासन द्विविभाजन को अस्वीकार किया गया है। अर्थात् नवीन लोक प्रशासन राजनीति-प्रशासन के एकीकरण पर बल दिया गया है।
- नवीन लोक प्रशासन सकारात्मक एवं आदर्शात्मक होता है और यह प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होता है।
- नवीन लोक प्रशासन की यह मान्यता है कि प्रशासन में नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन और नीति मूल्यांकन सदैव नैतिकता के आधार पर होता है। अर्थात् यह नैतिकता पर बल देता है।
- नवीन लोक प्रशासन परिवर्तन में विश्वास रखता है और यह सामाजिक समस्याओं के प्रति संवेदनशील होता है।
- नवीन लोक प्रशासन में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जाता है।
- नवीन लोक प्रशासन में जवाबदेहिता, सामाजिक प्रतिबद्धता, नमनीय तटस्थता एवं प्रतिबद्ध प्रशासन पर बल दिया जाता है।
- नवीन लोक प्रशासन में पदसोपान की अवधारणा को अस्वीकार किया गया है।

उद्भव के कारण (*Causes of Genesis*)

1960 के दशक के अंत में जब अमेरिकी समाज विघटन एवं टूट-फूट की स्थिति से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा था तब उस समय का परम्परागत लोक प्रशासन इतना सक्षम नहीं था कि वो अमेरिकी समाज के इस संकट को समझ सके। साथ ही जब सामाजिक-आर्थिक संकटों के कारण नई मांगें एवं चुनौतियाँ उत्पन्न हुई तब भी यह उनका सामना करने में अपने आपको असमर्थ पा रहा था।

आणविक शस्त्रों के कारण उत्पन्न आतंक, गृहयुद्ध, सामाजिक विभेद एवं वियतनाम में अघोषित युद्ध आदि कारण विश्व की नैतिक अंतरात्मा पर प्रहार कर रहे थे। इस प्रकार के वातावरण ने अमेरिका के युवा बुद्धिजीवियों को और भी विचलित कर दिया था। क्योंकि जहाँ न तो शासन द्वारा संस्थापित केंद्र कुछ कर पा रहे थे और ना ही मान्यता प्राप्त शिक्षा के गढ़ों

अध्याय 4

लोक प्रशासन के सिद्धांत (Theories of Public Administration)

लोक प्रशासन के समग्र अध्ययन के लिये लोक प्रशासन के सिद्धांत को समझना आवश्यक हो जाता है। सिद्धांतों की व्याख्या विचारधाराओं की अभिव्यक्ति से होती है। अनेक सिद्धांतों, उपागमों और विचारधाराओं का संबंध संगठन की संरचना एवं उसके विभिन्न कार्यों से होता है जिसको अनेक प्रकार से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इन सिद्धांतों में विचारकों एवं विद्वानों के अनुभवों और प्रशासनिक वातावरण के निरीक्षण एवं पर्वेक्षण से विश्लेषणात्मक जानकारी प्राप्त किया जाता है। लोक प्रशासन के सिद्धांत में शास्त्रीय सिद्धांत (फियोल, गुलिक, उर्विक), वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत (टेलर), नौकरशाही सिद्धांत (वेबर), मानव संबंध सिद्धांत (एल्टन मेयो) और व्यवस्था दृष्टिकोण (बर्नार्ड) का अध्ययन किया जायेगा।

4.1 शास्त्रीय सिद्धांत (फियोल, गुलिक, उर्विक)

Classical Theory (Fayol Gullick Urwik)

संगठन के सर्वाधिक प्राचीन विचारधाराओं को ही शास्त्रीय सिद्धांत कहते हैं। इसे यांत्रिक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। यह परंपरागत विचारधाराओं पर आधारित होता है। शास्त्रीय सिद्धांत के हेनरी फियोल, लूथर गुलिक, लिंडल उर्विक प्रमुख समर्थक हैं। यह सिद्धांत अवैयक्तिकता, कार्य-विभाजन, पदसोपान एवं दक्षता पर अधिक बल देता है।

हेनरी फियोल का योगदान

(Contribution of Henry Fayol)

फ्रांसीसी इंजीनियर हेनरी फियोल को शास्त्रीय सिद्धांत का जनक माना जाता है। इनकी महत्वपूर्ण रचना 'जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट' वर्ष 1916 में प्रकाशित हुई। इन्होंने कहा है कि अब हमारे सामने प्रशासन के कई नहीं, बल्कि मात्र एक विज्ञान है जो समान रूप से शासकीय एवं गैर-शासकीय सभी मामलों में लागू किया जा सकता है। हेनरी फियोल ने शास्त्रीय सिद्धांत में लोक प्रशासन के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जो इस प्रकार है-

- (i) **कार्य-विभाजन-** कार्य विभाजन सिद्धांत के अनुसार उद्देश्य प्राप्ति हेतु कर्मचारियों में उनकी योग्यता और कार्यकुशलतानुसार कार्य का विभाजन सुनिश्चित किया जाना चाहिये। इससे उत्पादकता बढ़ती है और तकनीकी एवं प्रशासकीय कार्य निष्पादन का स्तर ऊँचा होता है।
- (ii) **अनुशासन-** फेथेल के मतानुसार अनुशासन से अभिप्राय संगठन के नियमों के प्रति विश्वास, आज्ञाकारिता एवं श्रद्धा से है। कर्मनिष्ठा और आदेश का पालन करना ही अनुशासन है। अनुशासन प्रशासकों के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। इसके अभाव में कोई भी संगठन समृद्ध नहीं हो सकता है। अनुशासन बनाये रखने के लिये बेहतर पर्यवेक्षण, अनुशासन के नियमों की स्पष्टता, पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था का होना आवश्यक है।
- (iii) **आदेश की एकता-** संगठन में एक व्यक्ति, एक अधिकारी के सिद्धांत का पालन होना चाहिये। इससे यह लाभ होता है कि कर्मचारी एक ही अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है और साथ ही निर्देशों में स्पष्टता रहती है।

आधुनिक राज्य के स्वरूप एवं दायित्वों में आए परिवर्तनों ने प्रशासनिक अवधारणाओं को अनिवार्य सिद्ध कर दिया है। वर्तमान समय में व्यक्तियों की प्रत्येक गतिविधि प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित होती है। समाज में बढ़ती हुई जटिलताओं, राज्य के बढ़ते हुए दायित्वों और प्रशासनिक पद्धतियों में आए बदलावों के मध्य प्रशासनिक अवधारणाओं का महत्व भी अत्यधिक बढ़ गया है। सामयिक परिस्थितियों में सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था के बिना प्रगति संभव नहीं है इसलिये प्रशासनिक व्यवस्था में शक्ति, सत्ता, वैधता एवं उत्तरदायित्व जैसी प्रशासनिक अवधारणाओं का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है।

5.1 शक्ति की अवधारणा (*Concept of Power*)

शक्ति शब्द जिसे अंग्रेजी में पावर (Power) कहते हैं, लैटिन भाषा के 'Potere' शब्द से निकला है जिसका अर्थ है- योग्य के लिये। शक्ति उस विशेष स्थिति की द्योतक है जिसमें कोई व्यक्ति सामाजिक विरोध की स्थिति में भी अपनी इच्छा एवं आदेशों का अनुपालन करवाने में सफल हो जाता है। शक्ति की अवधारणा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। यदि शक्ति में वैधता जुड़ जाए तो यह सकारात्मक रूप में उभरती है अन्यथा शक्ति दिशाहीन हो जाती है जो विनाशकारी भी हो सकती है। शक्ति व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करती है। यह एक नकारात्मक संकल्पना भी मानी जाती है, क्योंकि इसमें बल प्रयोग का तत्त्व संभावित रहता है। शक्ति का दीर्घकालीन अस्तित्व सत्ता पर निर्भर करता है।

आर्गेंसकी के अनुसार, “शक्ति अन्य व्यक्तियों को अपने लक्ष्यों के अनुरूप प्रभावित करने की क्षमता है। शक्ति एक सापेक्ष शब्द है, यथा- राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, सामाजिक शक्ति आदि।”

वेबर के अनुसार, “शक्ति आरोपण की अभिव्यक्ति है, यह आरोपण बाध्यकारी रूप में होता है।”

बर्नार्ड शॉ के अनुसार, “शक्ति कभी भ्रष्ट नहीं करती बल्कि जब यह अज्ञानी में निहित होती है, तभी भ्रष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है।”

शूमैन के अनुसार, “शक्ति लोगों को नियंत्रित एवं उन्हें प्रभावित करने की योग्यता है।”

गोल्डमेयर एवं शिल्स के अनुसार, “एक व्यक्ति के पास शक्ति उस सीमा तक होती है, जिस सीमा तक वह अपनी इच्छाओं के अनुसार दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करता है।”

शक्ति का रूप सदैव सामाजिक होता है। शक्ति सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति है, परंतु बल गैर-सामाजिक तत्त्व कहलाता है। शक्ति बल का कानूनी रूप होता है। शक्ति कानूनी दायरे वाला बल है। नकारात्मक शक्ति से आशय व्यक्ति की उस क्षमता से है जो अन्यों से वह काम करवा लेता है जो अन्यथा वे लोग नहीं करते। सकारात्मक शक्ति सशक्तीकरण के रूप में उभरती है। शक्ति शासितों एवं शासितों के मध्य संबंधों को सुनिश्चित करती है। शक्ति के द्वारा शासक आदेश देते हैं एवं शासित व्यक्ति उसका पालन करते हैं। शक्ति दूसरों को प्रभावित करती है तथा उनके व्यवहार को नियमित भी करती है। शक्ति वह साधन है जिसके द्वारा निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है।

शक्ति की विशेषताएँ (*Features of power*)

शक्ति की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- शक्ति कार्य करवाने की भावना पर आधारित होती है।
- शक्ति योग्यता को प्रदर्शित करती है।
- इसमें बल प्रयोग से संबद्ध तत्त्व की मौजूदगी की संभावना रहती है।

संगठन एवं उनके सिद्धांत (Organisations and their Principles)

व्यक्तियों का एक ऐसा समूह संगठन कहलाता है जिसके अंतर्गत बिखरी हुई शक्तियों को एकीकरण करने का प्रयास किया जाता है। संगठन आज मनुष्य की हर गतिविधियों के साथ जुड़ा हुआ है। इसके व्यवस्थित कार्यकरण के लिये कुछ निश्चित नियमों, प्रक्रियाओं एवं सर्वस्वीकृत आधारशिलाओं की आवश्यकता होती है जिसके अभाव में संगठन दिशाहीन एवं अवरुद्ध हो जाता है। संगठन की अवधारणा के विकास के साथ ही इसके अनेक सर्वमान्य सिद्धांतों (जैसे- पदसोपान, प्रत्यायोजन, आदेश की एकता, नियंत्रण के क्षेत्र, केन्द्रीकरण एवं विकेन्द्रीकरण, समन्वय, पर्यवेक्षण) को भी खोज निकाला गया तथा ये सिद्धांत आचरण के ऐसे कार्य नियम होते हैं जो विस्तृत अनुभव के कारण सर्वस्वीकृत होते हैं।

6.1 संगठन: अर्थ एवं विशेषताएँ (Organisation: Meaning and Features)

सामान्य बोलचाल की भाषा में संगठन का अर्थ होता है- कार्य को योजनाबद्ध रूप में संपन्न करना। अर्थात् किसी कार्य को योजनाबद्ध रूप से सम्पादित करना ही संगठन कहलाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि श्रम, आवश्यकताएँ, प्रबंध के मध्य प्रभावपूर्ण सहकारिता स्थापित करने की कला को ही संगठन कहते हैं। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार, संगठन शब्द से तात्पर्य है- किसी वस्तु का व्यवस्थित ढाँचा बनाना, किसी वस्तु का आकार निश्चित करना एवं उसको कार्य करने की स्थिति में लाना। संगठन में तीन तत्त्व निहित होते हैं- इसमें कार्य निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिये किया जाता है, इसमें सहयोग की भावना होती है तथा इसमें अनेक व्यक्तियों द्वारा कार्य किया जाता है। अनेक विद्वानों ने भिन्न-भिन्न अर्थों में संगठन को परिभाषित किया है जो निम्नलिखित हैं-

एल.डी. व्हाइट के अनुसार, “संगठन का अर्थ कर्मचारियों की उस अवस्था से है, जो निश्चित किये हुए विषयों की प्राप्ति के लिये कार्यों एवं उत्तरदायित्वों को विभाजित करके स्थापित की जाती है।”

ग्लैडन के अनुसार, “संगठन से तात्पर्य है किसी उद्यम में लगे हुए व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की ऐसी प्रतिकृति बनाना जो उद्यम के कार्यों को पूरा कर सके।”

लूथर गुलिक के अनुसार, “संगठन सत्ता का औपचारिक ढाँचा है जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये कार्यों को विभाजित तथा निर्धारित किया जाता है और उनका समन्वय किया जाता है।”

उर्किंक के अनुसार, “संगठन का अर्थ है उन क्रियाओं का निर्धारण करना जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये आवश्यक हों और उनको ऐसे वर्गों में क्रमबद्ध करना जो कि विभिन्न व्यक्तियों को सौंपे जा सकें।”

जे.डी. मूने के अनुसार, “एक समान ध्येय की प्राप्ति के लिये बनने वाले प्रत्येक मानवीय समुदाय का ढाँचा संगठन है।”

फिफनर के अनुसार, “संगठन का अर्थ व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के बीच, वर्गों एवं वर्गों के बीच संबंधों से है, जो इस प्रकार आयोजित किये जाएँ कि व्यवस्थित श्रम विभाजन किया जा सके।”

एम. मार्क्स के अनुसार, “संगठन उस ढाँचे का नाम है, जो शासन के प्रमुख कार्यवाह तथा उसके सहायकों को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिये बनाया जाता है।”

संगठन की विशेषताएँ (Features of organisation)

किसी भी संगठन में निम्नलिखित विशेषताएँ होनी चाहिये-

- संगठन विभिन्न व्यक्तियों का समूह होता है, यह समूह छोटा एवं बड़ा हो सकता है।
- यह समूह के उत्तरदायित्वों तथा कर्तव्यों के स्वरूप को स्थापित करता है।
- यह कार्यकारी नेतृत्व के निर्देशन में संगठित होकर कार्य करता है।
- इसके अभाव में प्रबंध अपना कार्य व्यवस्थित ढंग से नहीं कर सकता है क्योंकि यह संगठन प्रबंध का एक यंत्र होता है।
- यह एक क्रियात्मक अवधारणा है जहाँ अनेक लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें क्रियान्वित किया जाता है।

प्रबंध की अवधारणा बहुत पुरानी है, क्योंकि प्राचीन काल में भी प्रबंध के संबंध में विद्वान् एवं विचारक अपना मत व्यक्त करते रहे। उनके अनुसार प्रशासनिक प्रबंध का सिद्धांत, मानव संगठन के कुशल संचालन एवं राज्य के प्रशासनिक कार्यों के लिये उचित होता है। अंततोगत्वा मानव सभ्यता में निरंतरता एवं परिवर्तन के साथ-साथ प्रबंध की अवधारणा बदलती रही। आधुनिक प्रबंध के रूप में विकसित अवधारणा आज के विकासशील युग में प्रचलित हो रही है।

7.1 प्रबंधन : अर्थ, विशेषताएँ, प्रकृति एवं महत्त्व (Management : Meaning, Features, Nature and Importance)

प्रबंधन वह प्रक्रिया होती है जिसमें प्रशासन के समस्त क्रियाओं का समायोजन, नियोजन एवं विश्लेषण किया जाता है। किसी संगठन की सफलता और असफलता प्रबंध पर निर्भर करती है। एक प्रबंधक संगठन में नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है। वह संगठन में नीति निर्माण, निर्णय निर्माण, समन्वय इत्यादि क्रियाएँ करता है।

अर्थ (Meaning)

किसी भी संगठन में उत्पादन हेतु विभिन्न क्रियाओं को सफलतापूर्वक सम्पादित करने की प्रक्रिया को प्रबंधन कहते हैं। इसके माध्यम से संगठन को सुव्यवस्थित, संगठित और क्रमबद्ध किया जाता है। इसके साथ ही आवश्यक गतिविधियों का नियोजन, समन्वय और नियंत्रण करके लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रबंधन से तात्पर्य मानव निपुणता एवं साधनों के उपयोग के लिये सामूहिक प्रयासों द्वारा अपेक्षित लक्ष्यों की कल्पना करने तथा उनको प्राप्त करने से संबंधित है। थियो हेमन ने प्रबंधन के तीन अर्थ बताये हैं— पहला, प्रबंधन से आशय प्रबंधन आधिकारियों के उस कार्य से होता है जिसके तहत संबंधित संगठन में कार्य करने वाले लोगों के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है दूसरा, प्रबंधन से तात्पर्य ऐसे विज्ञान से है जिसमें व्यवसाय संबंधी नियोजन, संगठन, संचालन, समन्वय, प्रेरणा और नियंत्रण के सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। और तीसरा, प्रबंधक से आशय ऐसी प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत अन्य लोगों के साथ मिलकर कार्य करने पर बल दिया जाता है।

इसके अलावा विभिन्न विद्वानों का मत निम्नवत् है-

पीटर एफ. ड्रकर के शब्दों में, “प्रबंधन प्रत्येक व्यवसाय का गत्यात्मक और जीवन प्रदायनी अवयव है। इसके नेतृत्व के अभाव में उत्पत्ति के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं, कभी भी उत्पादन नहीं बन पाते हैं।”

- हेनरी फेयोल के अनुसार, “प्रबंधन करने से आशय पूर्वानुमान लगाना एवं योजना बनाना, संगठित करना, निदेशन देना, समन्वय करना एवं नियंत्रण करना है।”
- जोजेफ एल. मेसी के अनुसार, “प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सहकारी समूह कार्य को एक सामान्य उद्देश्य की ओर निरेशित करता है।”
- मैक्फारलैंड के अनुसार, “प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक व्यवस्थित, समन्वित एवं सहकारी प्रयासों से सोदृदेश्य संगठनों का सृजन करते हैं।”

विशेषताएँ (Features)

प्रबंधन की परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित विशेषताएँ दिखाई देती हैं-

- प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है, जो आम आदमी से संबंधित होती है।
- प्रबंधन एक ऐसी क्रिया है, जो मनुष्य द्वारा संपन्न की जाती है। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है।

विकास प्रशासन एवं तुलनात्मक लोक प्रशासन (Development Administration and Comparative Public Administration)

विकास प्रशासन की अवधारणा आधुनिक लोक प्रशासन की परिचायक है। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् नवस्वतंत्र राज्यों (खासकर एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका) के उदय होने से इसके क्षेत्र एवं दायित्व का विस्तार हुआ। इसके दायित्व के अंतर्गत राष्ट्रनिर्माण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं जन सहायता के कार्यों को प्रमुखता दी गई है, जिससे प्रशासन एवं नागरिकों के मध्य की दूरी कम होने लगी है। साथ ही नवस्वतंत्र राष्ट्रों के प्रशासनिक ढाँचा में सुधारों के लिये विकसित देशों के प्रशासन से तुलनात्मक अध्ययन किया जाने लगा और इसका सर्वाधिक श्रेय रिंग्स को जाता है।

8.1 विकास प्रशासन (*Development Administration*)

‘विकास प्रशासन’ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यू.एल. गोस्वामी ने किया। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग अपने एक लेख ‘दि स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया’ में किया था। इस शब्द की विस्तृत व्याख्या करने का श्रेय अमेरिकी विद्वानों को जाता है। विकासशील राष्ट्रों में प्रशासनिक प्रवृत्तियों के परीक्षण के लिये ‘अमेरिकन सोसायटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन’ के अंतर्गत एक तुलनात्मक प्रशासनिक समूह का गठन किया गया। इस समूह ने तीसरी दुनिया के विकासशील राष्ट्रों को विकास प्रशासन के क्षेत्र में अनुसंधान के लिये अपना अध्ययन बिंदु बनाया, साथ ही इन राष्ट्रों की प्रशासनिक समस्याओं (सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेश के संदर्भ में) के अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। समूह का अध्यक्ष फ्रेड डब्ल्यू. रिंग्स को बनाया गया जिन्होंने अपने प्रयास से विकास प्रशासन को अध्ययन विषय के रूप में स्थापित किया। विकास प्रशासन के प्रतिपादकों में जॉर्ज ग्रांट (अग्रणी), वाईडनर, हैडी, रिंग्स, पाइ पानिंदीकर तथा मॉण्टगोमेरी आदि हैं।


विकास प्रशासन का अर्थ (*Meaning of development administration*)

विकास या विकासात्मक प्रशासन का अर्थ है— विकास से संबंधित प्रशासन। यह एक विशेष प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिये एक उन्नयन की भावना, एक विशेष कार्यक्रम तथा एक विशेष विचारधारा है। इसके साथ ही विकास प्रशासन को परिवर्तन के उस पक्ष के रूप में भी देखा जाता है जो नियोजित एवं अभीष्ट हो तथा प्रशासकीय कार्यों से निर्देशित हो। विकास प्रशासन में जनता की सेवा के लिये विकास संबंधी कार्यों को संपन्न किया जाता है। यह प्रशासन के स्थूल रूप से उतना संबंधित नहीं है जितना कि उसकी प्रकृति, अभिव्यक्ति, व्यवहार, दृष्टिकोण आदि से। अनेक विद्वानों ने विकास प्रशासन को अपने-अपने तरीकों से परिभाषित किया है, जो निम्नलिखित हैं—

मॉण्टगोमेरी के अनुसार : “विकास सामान्यतः परिवर्तन के ऐसे सामान्य भाग को समझा गया है जो स्थूल रूप से पूर्व-निर्धारित या योजनाबद्ध एवं प्रशासित किया गया हो या कम-से-कम सरकारी क्रिया द्वारा प्रभावित हो।” इसी से उन्होंने विकास प्रशासन को बहुत सीमित क्षेत्र में रखते हुए कहा है कि “विकास प्रशासन अर्थव्यवस्था में योजनाबद्ध परिवर्तन लाता है (कृषि या उद्योग में या इन दोनों में से किसी के सहयोग के लिये पूंजीगत आधार संरचना में) और कुछ कम सीमा तक राज्यों की सामाजिक सेवाओं में (विशेषकर शिक्षा व जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में)। यह सामान्यतः राजनीतिक क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयत्नों से संबद्ध नहीं है।”

फ्रेड रिंग्स के मतानुसार : “विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के संगठित प्रयासों से संबंधित है, जो विकास के उद्देश्यों की पूर्ति में संलग्न व्यक्तियों द्वारा प्रवर्तित किये जाते हैं।”

आधुनिक युग में प्रशासन हमारे जीवन से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। आज हमारे जीवन का हर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक; कुछ भी प्रशासन से परे की बात नहीं रही है। साथ ही जब से राज्य ने लोक-कल्याणकारी राज्य का रूप धारण किया है तब से प्रशासन का क्षेत्र और भी विशाल हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रशासन की इन शक्तियों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। प्रो. व्हाइट के शब्दों में- “लोकतांत्रिक समाज में शक्ति पर नियंत्रण आवश्यक है। शक्ति जितनी अधिक है, नियंत्रण की भी उतनी ही अधिक आवश्यकता है।” स्पष्ट प्रयोजनों के लिये पर्याप्त अधिकार किस प्रकार निहित किये जाएँ तथा सत्ता को पंगु बनाए बिना किस प्रकार समुचित नियंत्रण स्थापित किया जाए, यह लोकप्रिय सरकार के समक्ष एक ऐतिहासिक उलझन का विषय है। अतः प्रशासन पर प्रभावशाली नियंत्रण की आवश्यकता स्पष्ट है, जिसके लिये प्रशासन पर निम्नलिखित नियंत्रणों की व्यवस्था की गई है-



9.1 विधायी/संसदीय नियंत्रण (Legislative Control)

संसदीय शासन व्यवस्था में संसद सैद्धांतिक रूप से संघ प्रशासन पर पूरा नियंत्रण रखती है। प्रशासन संविधान के अधीन एवं संसद द्वारा निर्मित विधि (कानूनों) के अनुसार ही चलाया जाता है। संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत ही संसद प्रशासन के उद्देश्यों को इंगित करती है। संसदीय नियंत्रण के अभाव में प्रशासकीय क्रियाओं में उचित समन्वय कर पाना संभव नहीं है। नौकरशाही के दोषपूर्ण हो जाने पर सामान्य जनता को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन की असफलता, अकार्यकुशलता, कमियों तथा अनियमितता का आरोप अंतोगत्वा मंत्री अथवा मंत्रिपरिषद के ऊपर ही आता है। अतः प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण आवश्यक है। संसद द्वारा यह नियंत्रण मंत्रिपरिषद के माध्यम से रखा जाता है। संसद निम्नलिखित तरीकों से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है-

- प्रश्न पूछकर (By asking questions):** संसद के प्रत्येक सदस्य को प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार है। प्रश्नों की अग्रिम सूचना संसदीय सचिव को दी जाती है। नियमानुसार अध्यक्ष प्रश्नों को उत्तर देने के लिये स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। ये प्रश्न सरकार के प्रशासकीय दायित्वों से संबंधित होते हैं। न्यायालय में विचाराधीन मामलों पर प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है-

प्रश्न के प्रकार

तारांकित प्रश्न (Starred Questions)	अतारांकित प्रश्न (Unstarred Questions)
ये ऐसे प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर प्रश्नोत्तर काल में मंत्री मौखिक रूप से देते हैं एवं इनके संबंध में मूल प्रश्नकर्ता व अन्य सदस्य पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं।	इन प्रश्नों के उत्तर सदन में मौखिक रूप से नहीं दिये जाते हैं एवं इनके संबंध में पूरक प्रश्न भी नहीं पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर सदन की टेबल पर रखवा दिये जाते हैं।

इन प्रश्नों के माध्यम से प्रशासन की अकार्यकुशलता एवं प्रशासकीय अक्षमता को सदन एवं जनसाधारण के सम्मुख लाने का प्रयास किया जाता है। विपक्ष के सदस्य मुख्य रूप से प्रश्न पूछने के अधिकार के माध्यम से प्रशासन की कमियों को उजागर करते हैं एवं प्रशासन से संबंधित सूचना प्राप्त करते हैं।

लोक प्रशासन सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के निर्माण में सहायता एवं सलाह और उन्हें परिणित करने का कार्य करती है। लोक प्रशासन के अन्य आयामों में लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण अवधारणाओं की चर्चा की गई है जिसमें अभिप्रेरणा, निर्णय निर्माण, सूत्र, स्टॉफ अभिकरण, संप्रेषण, नेतृत्व और सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ सम्मिलित है।

10.1 अभिप्रेरणा (*Motivation*)

अभिप्रेरणा (Motivation) शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द मोवेरे (Movere) से हुई है जिसका अर्थ है आगे चलना। अभिप्रेरणा व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत और संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रेरित करने की प्रक्रिया है। उत्तम राज्य और समाज की स्थापना से अभिप्रेरित प्रशासन महत्वपूर्ण साधन हैं। कोई भी भावना या इच्छा, जिससे व्यक्ति कार्य करने के लिये प्रेरित हो जाए, वह अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जो मानव व्यवहार को लक्ष्य की दिशा में कार्य करने के लिये आंतरिक तथा बाह्य रूप से प्रेरित करती है।

राबर्ट ड्यूबिन के शब्दों में, “अभिप्रेरणा उन शक्तियों का समूह है जो किसी संगठन में एक व्यक्ति को कार्य प्रारंभ करने तथा उन पर बने रहने के लिये प्रेरित करता है।”

प्रो. लोवेल के अनुसार: “अभिप्रेरणा एक ऐसी मनोशारीरिक अथवा आंतरिक प्रक्रिया है, जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में प्रादुर्भूत होती है। यह ऐसी क्रिया की ओर गतिशील होती है, जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है।

प्रो. फ्रेंडसन के मतानुसार, “सीखने का सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं।”

प्रो. गुड के अनुसार: “किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं।

अभिप्रेरणा की विशेषताएँ (*Features of motivation*)

अभिप्रेरणा की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

- अभिप्रेरणा एक सतत् एवं गतिशील प्रक्रिया है।
- इसका संबंध मानवीय साधनों से है।
- अभिप्रेरणा का प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उदय होता है।
- अभिप्रेरणा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है।
- यह मानवीय संतुष्टि का कारण एवं परिणाम दोनों है।

अभिप्रेरणा के उद्देश्य (*Objectives of motivation*)

अभिप्रेरणा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

- अभिप्रेरणा का उद्देश्य संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति करना है।
- यह कर्मचारियों के मनोबल की स्थापना करती है।
- यह मधुर श्रम संबंधों की स्थापना करती है।
- अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारियों की कार्य कुशलता में वृद्धि लाना है।
- अभिप्रेरणा का उद्देश्य बाहर से थोपे गए नियंत्रण के स्थान पर कार्मिकों में आत्मनियंत्रण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना।
- इसका उद्देश्य कर्मचारियों के मध्य पारस्परिक सहयोग की भावना में वृद्धि करना है।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- किंवक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com

E-mail : online@groupdrishti.com



DrishtiIAS



YouTube Drishti IAS



drishtiiias



drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

Phones : 8750187501, 011-47532596